निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 839) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-23/2026-**3309**/वि०स०।— ''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-21 जुलाई, 2026 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-15/2026]

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–

(1) यह अधिनियम ''**बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अधिनियम, 2026**'' कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जाएगी और बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के निरसन के चलते किये गए कुछ भी या की गई किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था ऐसी कार्रवाई की गई थी।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्त्तन के लिए तथा उससे सम्बद्ध एवं अनुषंगी मामलों को अधिनियमित करने हेतु बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) प्रवृत्त है।

विभिन्न विभागीय बैठकों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उनके प्रभावों तथा क्रियान्वयन की सम्यक् समीक्षा की गई । समीक्षा में यह पाया गया कि इस अधिनियम के कारण राज्य को आशा के अनुरूप प्राप्तियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही है एवं राज्य में "Ease of Doing Business/Ease of Living" के उद्श्यों की पूर्ति तथा तीव्र औद्योगिकीरण के दिशा में कतिपय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है । तद्पोरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्य में ऐसा कोई अधिनियम नहीं होना चाहिए, जिससे कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्त्तन की अनुमति आवश्यक हो। साथ ही, अध्यादेश के माध्यम से उक्त अधिनियम को निरसित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) अध्योदश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) द्वारा प्रख्यापित है तथा बिहार गजट असाधारण अंक 742, दिनांक–07.07.2026 में प्रकाशित है।

उक्त बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) जिसके माध्यम से बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) को निरसित किया गया था, को विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् बिहार राज्य में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 निरसित हो जायेगा ।

अतः बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 अधिनियमित किया जाना आवश्यक है ।

यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य तथा अभीष्ठ लक्ष्य एवं हेतु है ।

डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल,
भार–साधक सदस्य।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना,
दिनांक–21.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 839-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in